<u>र्थे 1</u> अापराधिक प्रकरण कमांक 685/2015

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण क्रमांक 685 / 2015</u> संस्थापित दिनांक 15 / 09 / 2015

THE POPOLO

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

- पंकज उर्फ मिर्ची शर्मा पुत्र जयनारायण शर्मा उम्र–21 साल निवासी बडा बाजार वार्ड क्र01 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- 2. रवि पुत्र गोपाल सोनी उम्र 25 साल निवासी सदर बाजार वार्ड क07 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

...... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा—457,380भा0द0स0) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री आलोक उपाध्याय ।) (आरोपी पंकज द्वारा अधिवक्ता—श्री हृदेश शुक्ला।) (आरोपी रवि द्वारा अधिवक्ता—श्री ए०के०राणा।)

::- नि र्ण य -::

(आज दिनांक 23 / 11 / 2016 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 13—14/07/14 की दरम्यानी रात्रि बडा बाजार गोहद में फरियादी लाल सिंह कुशवाह के निवासग्रह में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो प्रछन्न गृहअतिचार कारित करने तथा उसी समय फरियादी लाल सिंह कुशवाह के निवास गृह से उसकी सोने की चैन दो सोने की अंगूठी एक चांदी की करधोनी, चांदी के बिछिये, दो हजार रूपये नगद कुल कीमत 14000/—रूपये फरियादी लाल सिंह के आधिपत्य से उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित करने हेतु भादस की धारा457, एवं 380 के अंतर्गत आरोप हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 13/07/14 की दरम्यानी रात्रि फरियादी लाल सिंह अपने परिवार सहित घर में सो रहाथा कमरे के बाहर उसकी बहू सो रही थी कमरे का ताला खुला हुआ था। कमरे के अंदर सूटकेंस में सोने की झुमकी,दो सोने की अंगूठी,चांदी की करधोनी

पायल,बिछिये, एवं नगद दो हजार रूपये रखे हुये थे। रात्रि में कोई सूटकेस का ताला तोडकर सारा सामान चोरी करके ले गया था। जब उसकी बहु को रूपयों की जरूरत हुई थी तो उसकी बहु ने सूटकेस खोलकर देखा था तो उसने पाया था कि सूटकेंस का ताला टूटा हुआ था एवं नगदी व जेवर गायब थे। दो मोबाईल भी गायब थे कोई अज्ञात चोर चोरीकरके ले गया था। फरियादी लाल सिंह द्वारा घटना के संबंध में थाना प्रभारी गोहद को लेखीय आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन के आधार परपूलिस थाना गोहद में अप०क0248 / 14 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपीगण को गिरफतार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
- दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूटा फंसाया गया है।
- इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न ह्ये है :--5.
- क्या दिनांक 13—14 / 07 / 14 की दरम्यानी रात्रि बडा बाजार गोहद मेंफरियादी लाल सिंह कुशवाह के निवास गृह से उसके आधिपत्य से उसकी सोने की चैन,सोने की अंगूठी,चांदी की करधोनी ,बिछिये एवं दो हजाररूपये नगद की चोरी हुई ?
 - क्या उक्त चोरी आरोपी ओर केवल आरोपीगण द्वारा ही कारित की गई ?
- क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी लालसिंह कुशवाह के निवास गृह में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो प्रछन्न गृह अतिचार कारित किया ?
- उक्त विचारणीय प्रश्नो के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी लाल सिंह आ०सा०१,गीता आ०सा०२,कृष्णा आ०सा०३,लायकराम आ०सा०४,सरनाम सिंह आ०सा०५,ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६,सुनील कुमार आ०सा०७ प्र०आ०महेश धाकरे आ०सा०८ ए०एस०आई तहसीलदार सिंह आ०सा०९,आरक्षक रविन्द्र आ०सा०१० एवं ए०एस०आई बलवंत सिंह आ०सा०११ को परीक्षित कराया गया है। जबिक आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

उक्त विचारणीय प्रश्न केसंबंध में फरियादी लाल सिंह आ०सा०1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया हैकि घटना वर्ष 2014 के अषाढ़ माह 14 तारीख की है। रात्रि के समय की घटना है घटना कितने बजे की है वह निश्चित नहीं बता सकता है उस समय गर्मी का मौसम था वह बाहर सो रहा था कमरे की कुंदी नहीं लगी थी। अंदर सूटकेस रखा हुआ था एक डिब्बे में जेवर,सोने की झुमकी,अंगूठी,एवं चांदी की पाजेव,करधोनी तथा 6 जोडी बिछिया,रखे हुये थे। दो मोबाईल एवं दो हजार रूपये भी अंदर से चोरी हो गये थे मोबाईल कूलर पर रखा हुआ था तथा शेष सामान सूटकेस में था। रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरीकरके ले गया था मोबाईल का नम्बर उसे याद नहीं हैं। दो

मोबाईल में से एक मोबाईल उसका था एवं एक उसके लडके का था। एक मोबाईल सेमसंग कंपनी का था तथा एक मोबाईल मेक्स कंपनी का था। उसने घटना के संबंध में लेखीय आवेदन दिया था जो प्र0पी01 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्र0पी02 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मोबाईल का बिल प्र0पी03 तथा जप्ती पंचनामा प्र0पी04 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। शिनाख्ती मेमों प्र0पी05 के एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- 8. साक्षी गीता आ०सा०२ एवं कृष्णा आ०सा०३ ने भी अपने कथन में फरियादी लाल सिह आ०सा०१ के कथन का समर्थन किया है तथा घटना दिनांक को रात्रि के समय पाजेव,करधोनी,सोने की अंगूठी,झुमकी,बिछिया एवं दस हजार रूपये चोरी होने बाबत प्रकटीकरण किया है।
- 09. ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ ने प्र०पी०१० की प्रथम सूचना रिर्पोट को प्रमाणित किया है।
- इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरणमे फरियादी लाल सिंह आ०सा०१ ने अपने कथन में घटना दिनांक को उसके घर के अंदर से सोने,चांदी के जेवर,एवं मोबाईल तथा दो हजार रूपये चोरी होना बताया है। साक्षी गीता आ0सा02 जो कि फरियादी लाल सिंह की पत्नि है एवं कृष्णा आ0सा03 जो कि फरियादी लाल सिंह का पुत्र है ने अपने कथन में फरियादी लाल सिंह आ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं उनके घर से सोने चांदी के जेवर,मोबाईल एवं रूपये चोरी होने बाबत प्रकटीकरण किया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन फरियादी लाल सिंह के घर से सोने,चांदी के जेवर, मोबाईल एवं रूपये चोरी होने के बिन्दु पर अखण्डनीय रहा हैं। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में प्र0पी01 का आवेदन थाने पर दिया गया है एवं उक्त आवेदन के आधार पर ही प्र0पी010 की प्रथम सूचना रिर्पोट लेखबद्ध की गई है ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ ने भी अपने कथन में फरियादी लाल सिंह कुशवाह द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर प्र0पी010 की प्रथम सूचना रिपीट लेखबद्ध करना बताया है। प्रपी01 के आवेदन एवं प्र0पी10 की प्रथम सूचना रिपीट में भी फरियादी लाल सिंह के घर से सोने चांदी के जेवर एंव मोबाईल व रूपये चोरी होने का उल्लेखहै। इस प्रकार उक्त बिन्दू पर फरियादी लाल सिंह आ०सा०१ का कथन प्र०पी०१ के आवेदन एवं प्र०पी०१० की प्रथम सूचना रिर्पोट से भी पुष्ट रहा है। आरोपीगण की ओरसे उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं। अतः उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी लाल सिंह के घर से सोने चांदी के जेवर,माबाईल एवं रूपयों की चोरी हुई थी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

11. अब न्यायालय को यह विचार करनाहै कि क्या उक्त चोरी आरोपी ओर केवल आरोपीगण द्वारा ही कारित की गई है? उक्त संबंध में फरियादी लाल सिह आ0सा01 ने अपने कथन में घटना दिनांक को उसके घर से सोने चांदी के जेवर,मोबाईल एवं दो हजार रूपये चोरीहोना तो बताया है परन्तु यह भी व्यक्त किया हेकि चोरी कौन व्यक्ति करके ले गया था वह नहीं बता सकता है। प्रतिपरीक्षण के पद क03 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि चोरी किसने की थी उसे जानकारी नहीं हैं।

- 12. साक्षी गीता आ0सा02 ने भी अपने कथन में उसके न्यायालीन कथन से लगभग पौने दो साल पहले रात्रि लगभग दो ढाई बजे चोरी होना बताया है एवं व्यक्त किया हेकि कोई अज्ञात व्यक्ति पाजेव,करधोनी,गुच्छे,दो सोने की अंगूठी,ज्ञुमकी पैरो के बिछिया चांदी की तोडिया ओर दसहजार रूपये सूटकेस से निकाल कर ले गयाथा। इसके तुरन्त पश्चात ही उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया हैकि पंकज निकालकर ले गया था दो मोबाईल भी निकाल कर ले गयाथा उसके बाद उसे एक पाजेव व अंगूठी ही मिली थी। कृष्णा आ0सा03 ने अपने कथन में चोरी होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि चोरी किसने की थी।
- 13. ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ ने अपने कथन में व्यक्त किया हैकि उसने दिनांक 14/07/10 को फरियादी लाल सिंह द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर प्र०पी०10 की प्रथम सूचना रिपीट लेखबद्ध की थी जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। फरियादी लाल सिंह के द्वारा पेश करने पर उसने मोबाईल की रसीद जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०4 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने आरोपी पंकज शर्मा को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र०पी०11 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी पंकज शर्मा से पूछताछ कर उसने प्र०पी०8 का मेमोरेंडम लेख किया था। आरोपी पंकज शर्मा से उसने प्र०पी०9 के वर्णनानुसार सोने की अंगूठी एवं चांदी की पाजेव जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण के पद क०2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया हैकि प्र०पी०10 पर उसके हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 14/07/17 अंकित हो गई है।
- 14. साक्षी लायकराम आ०सा०४ ने व्यक्त किया हैकि वह आरापी पंकज व रवि को जानता है उसके न्यायालीन कथन से दो साल पहले लाल सिंह के यहां चोरी हुई थी पुलिस आई थी और पंकज को थाने ले गई थी। पंकज उर्फ मिर्ची ने लाल सिंह के यहां से मोबाईल अंगूठी,झुमकी व दो हजार रूपये की चोरी की थी वह अंगूठाकर के चला आया था उसने जिस कागज पर अंगूठा किया था उस पर क्या लिखा था वह नहीं बता सकता है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया हैकि पुलिस ने उसके सामने पंकज उर्फ मिर्ची से पूछताछ की थी एवं यह भी स्वीकार किया हैकि पुलिस ने उसके सामने प्र०पी०६ का मेमोरेंडम बनाया था। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैकि पुलिस ने उसके सामने आरोपी पंकज द्वारापेश करने पर लाल रंग का मोबाईल जप्त किया था। उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया हैकि पंकज ने प्र०पी०८६का मेमोरेंडम पुलिस को नहीं दिया था। प्रतिपरीक्षण के पद क०६ में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया हैकि पुलिस वालों ने क्या क्या सामान किस किस तारीख को कहां कहां सेजप्त किया था उसे जानकारी नहीं हे एंव यह भी स्वीकार किया हैकि आरोपी पंकज ने उसके सामने किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं ही थी।
- 15. साक्षी सरनाम सिंह आ०सा०५ ने अपने कथनमे बताया है कि वह आरोपी पंकज शर्मा को जानता है। पुलिस ने उसके सामने पंकज को पकड़ा था ओर पंकज के घूरे में से अंगूठी निकाली थी जिस पर नेल पालिस लगी थी पुलिस पंकज को थाने ले गई थी। आरोपी के घर सेपाजेव,करधोनी,झुमकी व मोबाईल बरामद हुये थे जप्ती पंचनामा प्र०पी०९के एसेएभाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क03 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया हैकि प्र०पी०९ की लिखा पढ़ी पुलिस वालों ने थाने पर की थी।

<u> 5 🔗 आपराधिक प्रकरण कमांक 685 / 2015</u>

- 16. ए०एस०आई बलवंत सिंह आ०सा०11 ने भी ए०एस०आई राजपाल आ०सा०६के कथन का समर्थन किया है एवं जप्ती पंचनामा प्र०पी०९ के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। ए०एस०आई तहसीलदार सिंह आ०सा०९ ने भी अपने कथन में जप्तीकर्ता ए०एस०आई राजपाल आ०सा०६के कथन का समर्थन किया है तथा मेमोरेंडम प्र०पी०६ के बी से बी भाग पर,जप्ती पंचनामा प्र०पी०७ के एसेए भाग पर एवं मेमोरेंडम प्र०पी०८के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया हैं।
- 17. प्र0310महेश धाकरे आ०सा०८ ने अपने कथनमें व्यक्त किया हैकि उसने दिनांक 07/07/15 को आरोपी रिव सोनी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी012 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने आरोपी रिव सोनी से पूछताछ कर मेमोरेंडम प्र0पी013 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तलाशी पंचनामा प्र0पी014 के एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 18. आरक्षक रविन्द्र आ0सा010 ने अपने कथन में व्यक्त किया हैकि दिनांक 07/07/15 को महेश धाकरे ने सदर बाजार से आरोपी रवि को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी012 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपी रवि से पूछताछ कर मेमोरेडम प्र0पी013 बनाया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 19. सुनील कुमार आ०सा०७ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह फरियादी लाल सिंह कुशवाह को नहीं जानता है उसके समोन कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। प्र०पी०५ के बी से बी भागपर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया गया हैकि उसने शिनाख्ती कार्यवाही कराई थी।
- 20. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गयाहैकि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 21. प्रस्तुत प्रकरण में फरिायादी लाल सिंह आ0सा01 द्वारा चोरी के संबंध में प्र0पी01 का आवेदन अज्ञात आरोपी के विरूद्ध दिया गया है तथा प्र0पी010 की प्रथम सूचना रिर्पोट अज्ञात में लेखबद्ध की गई हैं। फरियादी लाल सिंह आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में घटनादिनांक को उसके घर से चोरी होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि उक्त चोरी किसने की थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया हैकि उसे जानकारी नहीं हैं कि चोरी किसने की थी। साक्षी कृष्णा आ0सा03 ने भी अपने कथन में चोरी होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि उक्त चोरी किसने की थी। जहां तक गीता आ0सा02 के कथन का प्रश्न है तो गीता आ0सा02 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि पंकज उसके जेवर व मोबाईल ले गया था परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैकि उसने किसी को चोरी करते हुये नहीं देखा था उसने तो बाद में सुना था वह आरोपी का नाम सुनने के आधार पर ही बता रही हैं। इस प्रकार गीता आ0सा02 के

कथनो से यह दर्शित है कि उसने स्वयं आरोपी पंकज को चारी करते हुये नहीं देखा था।

- प्रकरण में फरियादी द्वारा चोरी की रिर्पोट अज्ञात में की गई है एवं फरियादी लाल सिंह आ०सा०1 तथा कृष्णा आ०सा०3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथनों में भी आरोपी के विरूद्ध कोई कथन नहीं दिया है गीता आ0सा02 के भी कथनों से यह दर्शित है कि उसने खंय आरोपी को चोरी करते हुये नहीं देखा था। यहां यह उल्लेखनीय है कि जहां चोरी की रिर्पोट अज्ञात में की जाती है वहां जप्ती , मेमोरेंडम एवं गिरफतारी के साक्षियों की साक्ष्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। प्रस्तुत प्रकरण में लायकराम आ०सा०४ जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार मेमोरेंडम प्र०पी०६ एवं प्र०पी०८ तथा जप्ती पंचनामा प्र0पी07 का साक्षी है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि लालसिंह के यहां चोरी हुई थी पुलिस पंकज को थाने लेकर गई थी। पंकज ने लाल सिंह के यहां से मोबाईल अंगूठी,झुमकी व दो हजाररूपये की चोरी की थी उसने कागज पर अंगूठा किया था जिस कागज पर अंगूठा किया था उसमें क्या लिखाहै वह नहीं बता सकता है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी पंकज ने पुलिस को प्र0पी06 का मेमोरेंडम दिया था एवं यह भी स्वीकार किया हैकि पुलिस ने उसके सामने पंकज के कमरे से मोबाईल जप्त किया था परन्तु इस तथ्य से इंकार किया हैकि प्रवपी07 का जप्ती पंचनामा पुलिस ने उसके सामने बनाया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया हैकि आरोपी पंकज ने उसके सामने प्र0पी08 का मेमोरेंडम पुलिस को नहीं दिया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने आरोपी पंकज ने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी। उसे यह भी जानकारी नही है कि पुलिस ने किस किस तारीख़ को कहां कहां से क्या क्या सामान जप्त किया था वह पंकज का नाम इसलिये बता रहा है क्योंकि उसने सुना हैं।
- 23. इस प्रकार लायकराम आ०सा०४ के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अत्यन्त विरोधाभाषी रहे हैं । उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियोजनके इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से पूछताछ कर प्र०पी०६ का मेमोरेंडम बनाया था तथा आरोपी से मोबाईल जप्त किया था परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारायह भी स्वीकार किया गया है कि उसके सामने आरोपी पंकज ने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी एवं उसे यह भी जानकारी नहीं है कि पुलिस ने क्या क्या सामान कहां कहां से जप्त किया था। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी अपने परीक्षण के दौरान अपने कथनो पर स्थिर नहीं रहा है उसके द्वारा एक ही समय में एक ही बिन्दु पर परस्पर विरोधाभाषी कथन किये गये है। ऐसी स्थित में उक्त साक्षी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।
- 24. साक्षी सरनाम सिंह आ०सा०५ जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार जप्ती पंचनामा प्र०पी०९का साक्षी है ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि उसके सामने पुलिस ने पंकज को पकडा था और पंकज के घूरे में से अंगूठी निकाली थी। उक्त साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्र०पी०९ पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि प्र०पी०९की लिखा पढी पुलिस वालों ने थाने पर की थी एवं उक्त लिखा पढी घटना के 15 दिन बाद की थी। लिखा पढी थाने पर दिन के 10:००बजे हुई थी इसके अलावा उसके सामने कहीं पर भी कोई कार्यवाहीं नहीं की गई है। इस प्रकार साक्षी सरनाम सिंह आ०सा०५ केकथनो से भी यह दर्शित हैकि उक्त साक्षी ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया हैकि पुलिस ने उसके सामने पंकज के घूरे से अंगूठी

निकाली थी परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहनाहै कि प्र0पी09 के जप्ती पंचनामें की लिखा पढी दिन के 10:00बजे थाने पर हुई थी एवं इसके अलावा उसके सामने कहीं कोई कार्यवाहीं नहीं हुई थी। सरनाम सिंह आ०सा०५ ने जप्ती पंचनामा प्र०पी०९ की लिखा पढी थाने पर दिन के 10:00बजे होना बताया है जबिक प्र0पी09के जप्ती पंचनामें में घटना दिनांक 13/09/14 समय 15:00बजे लेख है इसके अतिरिक्त सरनाम सिंह आ०सा०५ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरानयह भी व्यक्त किया हैकि प्र0पी०९ की लिखा पढी घटना के 15 दिन बाद थाने पर हुई थी जबकि प्र0पी09के जप्ती पंचनामें में दिनांक 13/09/15 अंकित है एवं घटना दिनांक 13-14/07/14 की हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जप्ती पंचनामा प्र0पी09में दिनांक में ओवरराइटिंग है। साक्षी सरनाम सिंह आ0सा05 ने जप्ती पंचनामा प्र0पी09 की लिखा पढ़ी घटना के 15 दिन बाद थाने पर होना बताया है। जबकि प्र0पी09 के जप्ती पंचनामें में दिनांक 13/09/14 अंकित है। इस प्रकार साक्षी सरनाम सिंह आ0सा05 के कथन प्र0पी09के जप्ती पंचनामें से पृष्ट नहीं रहे हैं। साक्षी सरनाम सिंह आ०सा०५ के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्विक बिन्दुओं पर विरोधाभाषी रहे है ऐसी स्थिति में सरनाम सिह आ०सा०५ के कथन भी विश्वास योग्य नहीं हैं।

- 25. ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ जो कि जप्तीकर्ता हैं एवं विवेचक भी हैं ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने आरोपी पंकज को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी011 बनाया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा आरोपी पंकज शर्मा से पूछताछ कर प्र0पी08 का मेमोरेंडम बनाया था एवं आरोपी पंकज शर्मा से प्र0पी09के वर्णनानुसार सोने की अँगूठी एवं पाजेव जप्त की थी। यहां यह उल्लेखनीय हैकि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी पंकज को दिनांक 10 / 09 / 14 को गिफतार किया गया था तथा दिनांक 10/9/14 को ही उससे पूछताछ कर प्र0पी06 का मेमोरेंडम बनाया गया था एवं आरोपी के बताये अनुसार आरोपी से मोबाईल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी07 बनाया गया था। तत्पश्चात दिनांक 11/09/14 को आरोपी पंकज से पूछताछ कर प्र0पी08का मेमोरेडम बनाया गया था तथा उक्त मेमोरेंडम के अनुसार आरोपी पंकज से सोने की अंगूठी व पाजेव जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी09 बनाया गया था।
- इस प्रकार अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी पंकज से दो बार चोरी के संबंध में 26. पुछताछ कर प्र0पी06 एवं प्र0पी08 का मेमोरेंडम बनाया गया था एवं उक्त मेमोरेंडम के अग्रशरण में आरोपी से चोरी का सामान जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी07 एवं 8 बनाये गये थे। जप्तीकर्ता ए०एस०आई राजपाल सिंह आ0सा06 ने अपने कथनों के दौरान आरोपी पंकज से पूछताछ कर प्र0पी08 का मेमोरेंडम तैयार करना एवं आरोपी पंकज से सोने की अंगूठी व पाजेव जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी09 तैयार करना तो बताया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसने आरोपी पंकज से दिनांक 10 / 09 / 14 को भी पूछताछ की थी एवं प्र0पी06 का मेमोरेंडम बनाया था। उक्त साक्षी द्वारा यह भी नहीं बताया गयाहै कि उसने आरोपी पंकज से मोबाईल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी07 बनाया था। ए ०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ जो कि स्वयं जप्तीकर्ता है ने अपने कथनों के दौरान प्र०पी०६ के मेमोरेडम एवं प्र0पी07 के जप्ती पंचनामें के संबंध में कोई कथन नहीं दिया है। उक्त साक्षी उक्त संबंध में मौन रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा भी उक्त साक्षी का उक्त बिन्दू पर प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है न ही उक्त बिन्दु पर साक्षी को पक्षविरोधी घोषित किया गया है ऐसी स्थिति में जबिक स्वयं जप्तीकर्ता ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसने आरोपी पंकज से मोबाईल जप्त किया था एवं अभियोजन द्वारा उक्त बिन्द् पर साक्षी का कोई प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया गया है प्रकरण में आई साक्ष्य से यहीं दर्शित होता हैकि अभियोजन द्वारा स्वयं

इस तथ्य को स्वीकार किया गयाहै। चूंकि जप्तीकर्ता ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसने आरोपी पंकज से पूछताछ कर प्र०पी०६ का मेमोरेडम बनाया था एवं पंकज से मोबाईल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०७ बनाया था तथा अभियोजन द्वारा उक्त बिन्दु परसाक्षी का प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मेमोरेंडम प्र०पी०६ एवं जप्ती पंचनामा प्र०पी०७ को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है एवं यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी पंकज से प्र०पी०७ के अनुसार मोबाईल जप्त हुआ था।

- 27. जहां तक ए०एस०आई तहसीलदार सिंह आ०सा०१के कथन का प्रश्न है तो तहसीलदार सिंह आ०सा०१ ने अपने कथन मे यह बताया हैिक उसके सामने ए०एस०आई राजपाल सिंह ने आरोपी पंकज से पूछताछ करप्र०पी०६ का मेमोरंडम बनाया था तथा आरोपी के बताये अनुसार उसके सामने आरोपी पंकज से मोबाईल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०७ बनाया गयाथा परन्तु यह बात स्वयं जप्तीकर्ता ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ द्वारा नहीं बताई गई है। तहसीलदारसिंह आ०सा०१ ने अपने कथन मे ए०एस०आई राजपाल सिंह द्वारा प्र०पी०६ का मेमोरेडम एवं प्र०पी०७ का जप्ती पंचनामा तैयार करना बतायाहै परन्तु यह बात स्वयं जप्तीकर्ता ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ द्वारा नहीं बताई गई है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ एवं तहसीलदार सिंह आ०सा०१ के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहें हैं। चूंकि स्वयं जप्तीकर्ता ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ द्वारा वहीं बताया गया हैिक उसने प्र०पी०६ का मेमोरेडम बनाया था एवं प्र०पी०७ की जप्ती की थी। ऐसी स्थिति में ए ०एस०आई तहसीलदार सिंह आ०सा०१का कथनउक्त बिन्दु पर विश्वास योग्य नहीं है एवं तहसीलदार सिंह आ०सा०१ के कथनो से यह प्रमाणित नहीं होता हैिक ए०एस०आई राजपाल सिंह ने आरोपी पंकज से मोबाईल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०७ बनाया था।
- 28. ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ ने अपने कथन में यह भी बताया हैकि उसने आरोपी पंकज से पूछताछ कर प्र०पी०८ का मेमोरेंडम बनाया था तथा आरोपी के बताये अनुसार आरोपी पंकज से सोने की अंगूठी एवं चांदी की पाजेव जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०९ बनाया था। परन्तु उक्त साक्षी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसने प्र०पी०८ का मेमोरेडम कब और कितने समय एवं कहां पर बनाया था तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने आरोपी पंकज के बताये अनुसार किस स्थान से सोने की अंगूठी एवं चांदी की पाजेव जप्त की थी । ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६द्वारा जप्तीपंचनामा प्र०पी०९ की विशिष्टयों को प्रमाणित नहीं किया गया हैं। यह तथ्य अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता हैं।
- 29. ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ ने अपने कथन में आरोपी पंकज से अंगूठी एवं चांदी की पाजेव जप्त करना बताया हैं। ए०एस०आई बलवंत सिंह आ०सा०११ ने भी आरोपी पंकज से उसके सामने सोने की अंगूठी एवं चांदी की पाजेव जप्त करना बताया हैं। ए०एस०बाई बलवंत सिंह आ०सा०११ ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया हैकि सरनामसिंह उसे जप्ती स्थल पर मिला था तथा जहां जप्ती हुई थी वह खुली जगह थी जबिक साक्षी सरनाम सिंह आ०सा०६ का कहना हैकि प्र०पी०९ की लिखा पढी थाने पर हुई थी। ए०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ ने भी अपने कथन में यह नहीं बताया हैकि उसने आरोपी पंकज से सोने की अंगूठी एवं पाजेव कहां जप्त की थी तथा प्र०पी०९किस स्थान पर तैयार किया था। ए०एस०आई बलवंत सिंह आ०सा०११ वारा व्यक्त कियागया हैकि सरनाम सिंह उसे जप्ती स्थल पर मिला था तथा सरनाम सिंह आ०सा०१ का कहना हैकि प्र०पी०९ की लिखापढी थाने

पर हुई थी इसके अलावा उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर ए ०एस०आई राजपाल सिंह आ०सा०६ एवं ए०एस०आई बलवंत सिंह आ०सा०११ के कथन सरनाम सिंह आ०सा०५ के कथन से परस्पर विरोधाभाषी रहे है जो जप्ती की कार्यवाही को संदेहास्पद बना देते हैं।

- 30. अब यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि आरोपी पंकज से सोने की अंगूठी एवं चांदी की पाजेव अभियोजन कहानी के अनुसार जप्त हुई थी तो प्रश्न यह उठता हैिक क्या उक्त जप्तशुदा सामग्री फिरयादी की थी? उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय हैं कि फिरयादी लाल सिंह आठसाठा ने अपने कथन में शिनाख्ती मेमों पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किया है परन्तु इस तथ्य से इंकार किया है कि उसके सामने नगर पालिका भवन में शिनाख्ती की कार्यवाही हुई थी। उक्त साक्षी द्वारा यह व्यक्त किया गया हैिक पुलिस ने उससे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये थे। सुनील कुमार आठसाठा ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया हैिक वह लाल सिंह को नहीं जानता है उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। उक्त साक्षी ने भी शिनाख्ती पंचनामा प्र0पीठ5 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है परन्तु इस तथ्य से इंकार किया है कि उसने शिनाख्ती कार्यवाही कराई थी तथा प्र0पीठ5 का शिनाख्ती पंचनामा बनवाया था।
- 31. इस प्रकार फरियादी लाल सिंह आ०सा०1 ने भी इस तथ्य से इंकार किया हैकि उसके सामने शिनाख्ती कार्यवाही हुई थी। सुनील कुमार आ०सा०7 ने भी प्र०पी०5 की शिनाख्ती कार्यवाही से इंकार किया है। इस प्रकार प्रकरण में शिनाख्ती कार्यवाही भी संदेहास्पद हैं। ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियोजन कहानी के अनुसार जप्तशुदा अंगूठी एवं पाजेव फरियादी की थी। प्रकरण में शिनाख्ती कार्यवाही भी प्रमाणित नहीं हैं। यह तथ्य भी अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बना देता है।
- 32. जहां तक आरोपी रिव का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय हैिक आरोपी रिव से प्रकरण में कोई जप्ती नहीं हुई हैं। प्र0आर0महेश धाकरे आ0सा08 ने आरोपी रिव से पूंछताछ कर प्र0पी013 का मेमोरेंडम तैयार करना बताया है परन्तु उक्त मेमोरेंडम के अनुशरण में आरोपी रिव से कोई जप्ती नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में प्र0पी013 के मेमोरेंडम का कोई औचित्य नहीं हैं। प्र0आ0महेश धाकरे आ0सा08 ने अपने कथन में यह बतायाहै कि आरोपी रिव ने चोरी के दा हजार रूपये खर्च कर देना बताया था परन्तु प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि आरोपी रिव द्वारा दो हजार रूपये कहां और कब खर्च किये गये। उक्त संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। आरोपी रिव से प्रकरण में कोई जप्ती नहीं हुई है। आरोपी रिव के विरुद्ध कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं ऐसी स्थिति में आरोपी रिव को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।
- 33. उपरोक्त चरणो में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित हेकि प्रकरण में चोरी की रिर्पोट अज्ञात में की गइ है जप्ती एवं मेमोरेंडम के साक्षी लायकराम आ0सा04,सरनाम सिंह आ0सा05 ए0एस0आई राजपाल सिंह आ0सा06,ए0एस0आई तहसीलदार सिंह आ0सा09 एवं ए0एस0आई बलवंत सिंह आ0सा011 के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं प्रकरण मे जप्ती एवं शिनाख्ती की कार्यवाही संदेहास्पद हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
 - संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन

34.

को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

35. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 13—14/07/14 की दरम्यानी रात्रि बड़ा बाजार गोहद में फरियादी लाल सिंह कुशवाह के निवासग्रह में सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो प्रछन्न गृहअतिचार कारित किया एवं उसी समय फरियादी लाल सिंह कुशवाह के निवास गृह से उसकी सोने की चैन दो सोने की अंगूठी एक चांदी की करधोनी, चांदी के बिछिये, दो हजार रूपये नगद कुल कीमत 14000/—रूपये फरियादी लाल सिंह के आधिपत्य से उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी रिव एवं पंकज शर्मा उर्फ मिर्ची शर्मा को संदेह का लाभ देते हुये उन्हें भादस की धारा 457 एवं 380 के आरोप से दोषमुक्त करती हैं।

36. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

37. प्रकरण में जप्तशुदा मोबाईल एवं सोने चांदी के जेवर पूर्व से सुर्पुदगी पर है। अतः उनके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे।। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक - 23-11-2016

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्टा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

